झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस) संख्या 3784 वर्ष 2020

सुवास देवी, उम्र लगभग 61 वर्ष, पत्नी–स्वर्गीय कालो कोरंगा, निवासी–हनुमान मंदिर के नजदीक, धैया, कोरंगा बस्ती, डाकघर–आई0एस0एम0, थाना और जिला–धनबाद

... . याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, द्वारा प्रबंध निदेशक, डाकघर, थाना और जिला–धनबाद।
2. प्रबंध निदेशक, झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, धनबाद, कार्यालय–डाकघर, थाना और जिला–धनबाद।
3. सचिव, झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कार्यालय–डाकघर, थाना और जिला–धनबाद।

.... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार द्विवेदी

याचिकाकर्त्ता के लिए: श्री सोमेश्वर रॉय, अधिवक्ता

उत्तरदाता जे0एम0ए0डी0ए0 के लिए: श्री संतोष कुमार झा, अधिवक्ता

02 / 25.01.2021 श्री सोमेश्वर रॉय, याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता और श्री महावीर प्रसाद सिन्हा के ए0सी0 श्री संतोष कुमार झा, उत्तरदाता–जे0एम0ए0डी0ए0 के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना।

इस रिट याचिका को कोविड–19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुना गया है। किसी भी पक्ष ने ऑडियो–वीडियो की किसी भी तकनीकी गड़बड़ी के बारे में शिकायत नहीं की है और उनकी सहमति से इस मामले को सुना गया है।

याचिकाकर्ता ने सेवानिवृत्ति लाभों और अन्य बकाया जैसे कि अंशदायी लाभ, ग्रच्युटी, छुट्टी नकदीकरण, ग्रुप इंश्योरेंस, महंगाई भत्ते का अंतर, 6ठे वेतन संशोधन का लाभ दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से, ए0सी0पी0 के लाभ और साथ ही कोई अन्य वैध बकाया जिसके लिए याचिकाकर्ता हकदार है, के भुगतान के लिए उत्तरदाताओं पर निर्देश के लिए इस रिट याचिका को दायर किया है।

श्री रॉय ने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता से कहा कि याचिकाकर्ता झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण (जे0एम0ए0डी0ए0) के तहत महिला सफाई कर्मी, स्वास्थ्य सर्कल के रूप में काम कर रही थी, जो 30.06.2020 को सेवानिवृत हो गई। उन्होनें कहा कि दिनांक 20.06.2020 को अभ्यावेदन दायर किया गया है लेकिन कोई भुगतान नहीं किया गया है।

श्री महावीर प्रसाद सिन्हा के ए0सी0 श्री संतोष कुमार झा, उत्तरदाता–जे0एम0ए0डी0ए0 के लिए विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता को नए अभ्यावेदन दायर करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है और

उत्तरदाता–जे0एम0ए0डी0ए0 नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों के अनुसार याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करेगा।

तद्नुसार, याचिकाकर्ता को आज से तीन सप्ताह के अवधि के भीतर सभी साख के साथ उत्तरदाता संख्या 2 के समक्ष नए सिरे से अभ्यावेदन दायर करने के लिए निर्देशित किया जाता है। यदि इस तरह का अभ्यावेदन पूर्वोक्त अवधि के भीतर दायर किया जाता है, तो उत्तरदाता–जे0एम0ए0डी0ए0 नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों और उसके बाद जे0एम0ए0डी0ए0 द्वारा आठ सप्ताह की अवधि के भीतर इस संबंध में बनाई गई योजनाओं के अनुसार निर्णय लेगा।

उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, इस रिट याचिका को निष्पादित किया जाता है।

(संजय कुमार द्विवेदी, न्याया0)